तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **लीला देवी बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 35 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.2022	अपीलार्थी लीला देवी निवासी मकान न. 68, बद्री विहार, लाल सागर, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.01.2022 में उसके द्वारा विधवा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत उसके खाता संख्या 51532191057036 में अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक कुल कितनी पेंशन राशि जमा की गई, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखंड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखंड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को [illegible] जाए। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:19:19 IST
Reason: SelfAttested